आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की [illegible] कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
31/1/11	अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा दाखिला बिन्दु पर बहस के क्रम में बताया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 1943 ई0 में 40 रू0 में जमीन सादा कागजात पर खरीद की गई थी। विपक्षी के पूर्वजों के द्वारा जमीन की बिक्री किया गया था, उनके द्वारा आगे कहा गया कि टी0पी0एक्ट के धारा 54 नं0–10 से स्पष्ट है कि किसी भी सम्पति के बिक्री का मूल्य 100 रू0 से कम होने पर निबंधित नहीं होता है। विपक्षी लगभग 68 वर्षों के बाद भूमि वापसी का दावा दायर कर रहे है, जो न्याय संगत नहीं है तथा कालबाधित है। अतः अग्रेत्तर सुनवाई हेतु वाद को दाखिल (Admit) करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ता के अधिक्ता द्वारा किया गया बहस एवं अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि के अवलोकन पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा सन् 1943 ई0 में 40/– रू0 अदा कर सादा पट्टा के आधार पर जमीन खरीदने का दावा किया गया है। सादा पट्टा की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुसार है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र को दाखिला बिन्दु (Admition Point) पर अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय एवं पक्षकार को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, खूँटी। (31/1/11) उपायुक्त, खूँटी। (31/1/11)	